सं. 16/23/2017- रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 26 **दिसम्बर**, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विदेश यात्रा करने से पूर्व राजभाषा विभाग को सूचित किए जाने के संबंध में ।

****

उपरोक्त विषय पर उल्लेख किया जाना है कि कई मंत्रालय/विभाग/आयोग इत्यादि राजभाषा विभाग को सूचित किए बिना अपने स्तर पर ही केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विदेश जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर देते हैं जो नियमानुसार उचित नहीं है। यह नोटिस में आया है कि इस प्रकार विदेश गए संवर्ग के अधिकारी/कार्मिक छुट्टियां समाप्त होने के महीनों/वर्षों बाद भी स्वदेश वापस नहीं आते, जिससे प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कठिनाइयां आती है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विदेश यात्रा के पर जाने से पूर्व राजभाषा विभाग की स्वीकृति संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते अवश्य प्राप्त की जाए और राजभाषा विभाग के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना संवर्ग के किसी भी अधिकारी/कार्मिक की विदेश यात्रा करने हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग/आयोग इत्यादि द्वारा कार्यमुक्त न किया जाए/अनुमति न दी जाए ।

26.12.17
(बी. एल. मीना)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23438002

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी । अनुरोध है कि कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।